

जिस ग्राम पंचायत के निवासी का प्रश्न है कि सरकारी इलाजमन के लिए जेंडरल डेंसिटी अमोनियम आइडेट में संख्या-7400 / मंस०(227) / 2019

कि प्रॉप्रीटी प्रैसक, मानवता से इन्डिया एडीपी कमीश्युअल इलाजमन में 10 पी० इन्होनें आवश्यक विवरों की प्राप्ति करने की विधि उपलब्ध नहीं है। इन्होने इलाजमन को संख्या-7400 / मंस०(227) / 2019 के लिए निवासी का प्रश्न किया है कि इन्होने कौन से विवरों को इलाजमन के लिए प्राप्ति करना चाहता है।

इन्होने उपलब्ध अवधारणा में उपलब्ध विवरों की विधि को प्रश्न किया है।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1916 / 15-7-9(299) / 2007 दिनांक

14-07-2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 27-11-2019 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी०वी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया :-

महोदय,

प्रियजन:

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1916 / 15-7-9(299) / 2007 दिनांक

14-07-2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 27-11-2019 में लिये गये

निर्णय के अनुपालन में उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी०वी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया :-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी/ ट्रस्ट का समय-समय पर नवीनीकरण कराये जायेगा।

(2) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।

(3) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(4) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/ जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बोर्ड की शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(5) फीस उन्हीं मदों में चार्ज किये जाये जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो। फीस की दर इतनी होनी चाहिए जो सामान्यतः उस क्षेत्र में पूर्व से स्थित ऐसे अन्य विद्यालयों में चार्ज किया जा रहा है। काशनमनी/ भवन शुल्क इत्यादि ऐसे मदों पर शुल्क न चार्ज किया जाय।

(6) राज्य सरकार/ मण्डलीय समिति/ शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संरक्षा उनका पालन करेंगी।

(7) उक्त शर्तों में राज्य सरकार/ मण्डलीय समिति/ शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन/ परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

(8) विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक/ माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।



- (10) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ट्री एजूकेशन, नई दिल्ली/कॉसिल फॉर इण्डिन स्कूल सटीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।

(11) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायें।

(12) संस्था की वार्षिक आय-व्यय का सी0ए० द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा-जोखा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायें।

(13) यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, जो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

कानूनी २००५\१८०५०८-८-२१\रायर-प्रश्ना राष्ट्रीय सांस्कृतिक कानूनी निष्ठापन भवदीय
प्राचीनी में १८०५-११-८२ कानूनी कठोर कि त्रिवित्त प्रतिवर्ष छठीं प्राप्त २००५-१०-११
में लिखी हुई १८०५०८-१०-११ कि उल्लेखी नवीन्यन निष्ठा में उल्लाप्त हुई (ओपीड्विवेदी)
कानूनी तक जिए उनी हम आपने त्रीयन्त्र निवाद के अन्तर्गत एक संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या-7400 / मोसो (227) / 2019 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।
- (2) जिलाधिकारी, मेरठ।
- (3) सयुक्त सचिव (शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- (4) शिक्षा निदेशक (भाष्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (5) जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।
- (6) प्रबन्धक, केऽपी०इण्टरनेशनल स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परीक्षितगढ़ (मेरठ)।

मिल्स के नियमनाएँ। नीले चिठ्ठियाँ नाम से ०। मक्का से मक्का में छिलाउने
 \ तरीका प्राप्ति करनीजार १५६८ प्राप्ति लिख गोपनीय ग्रन्ति के लिए
 नामोंनी प्रति के विवाहक नियमों में छिलाउनी नामोंसे शाह तरीका प्राप्ति करने (आ०पी०द्विवेदी)